प्रेस विज्ञप्ति

17.03.2026

ईडी ने सी के विजयन और अन्य के मामले में 10.90 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 16.03.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से मेसर्स लोकंता होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक सी के विजयन कर रहे हैं) के नाम पर स्थित 10.90 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने एर्नाकुलम के मराडू पुलिस स्टेशन में सी.के. विजयन और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर श्रीमती प्रीथा राधाकृष्णन और उनके पति को कथित धोखाधड़ी से ठगने से संबंधित है, जिसमें झूठे बयानों, दस्तावेजों की जालसाजी, तथ्यों को छुपाने और आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से मेसर्स स्टेटिस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की होटल परियोजना में 10.90 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था। बाद में एर्नाकुलम की क्राइम ब्रांच – आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मामले की पुनः जांच की गई और 12.01.2024 को माननीय जेएफसीएम–VIII, एर्नाकुलम के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि सी.के. विजयन ने श्रीमती शालिनी विजयन और श्रीमती सायरा थम्पी कृष्णा के साथ मिलकर, मेसर्स लोकंता होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में अनुसूचित अपराधों को अंजाम देकर लगभग 10.90 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की थी। इस आय को कंपनी के बैंक खातों के माध्यम से डायवर्ट और अलग–अलग स्रोतों में स्थानांतरित किया गया और होटल संपत्ति के निर्माण में इस्तेमाल किया गया।

एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू की, जिसमें संपत्तियों की कुर्की और विशेष न्यायालय (पीएमएलए), एर्नाकुलम में अभियोजन शिकायत दर्ज करना शामिल है।

आगे की जांच जारी है।